

कार्यालय आयुक्त
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
वेबसाईट: www.medicaleducation.mp.gov.in

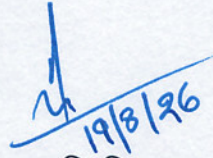
Dated- 19.08.2026

// महत्वपूर्ण सूचना //

स्नातक पाठ्यक्रम (एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0) में प्रवेश के समय
जमा किये जाने वाले बंध पत्र के संबंध में
मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू0जी0 2026

.....

मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू0जी0 2026 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण के लिये अपग्रेडेशन का ऑप्शन लेना चाहते हैं अथवा प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी जो मॉप अप चरण के लिये अपग्रेड का ऑप्शन लेना चाहते हैं उन्हें रू0 500/-के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य के नाम पर निष्पादित करना होगा, कि अभ्यर्थी अपग्रेड न होने की स्थिति में प्रवेशित महाविद्यालय में पृथक-पृथक ग्रामीण सेवा तथा सीट लिविंग बॉण्ड सम्यक रूप से (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत) स्टाम्पित शपथ पत्र (Notarized affidavit) पर निष्पादित करेगा।


संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश